दिनांक: 10-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.05.2024 को वादी मुकदमा फरयाद पुत्र याकूब निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली ने उपस्थित थाना आकर 01 लिखित तहरीर बाबत वादी की बहन को उसके पति **1- रहमान पुत्र अशरफ व 2- सलमा(जेठानी) पत्नी मेहरबान निवासीगण मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करना तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर देने के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर **मु0अ0सं0 173/24 धारा 498ए/304बी भादवि** पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर दोनो अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये , जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10/05/2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के नामित वाँछित अभियुक्त **रहमान पुत्र अशरफ निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को मौहल्ला गुजरान, गंगोह के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रहमान पुत्र अशरफ निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सन्दीप सिंह थाना गंगोह सहारनपुर।

2. कां0 1606 दीपक यादव थाना गंगोह सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:10-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बड़गांव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.05.24 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, वांछित / वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बडगांव के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **अनिल उर्फ छोटू पुत्र प्रकाश चन्द निवासी ग्राम जडोदा पाण्डा** वाद सख्या **488/16 धारा 25 शस्त्र अधिनियम** न्यायालय जे0एम देवबन्द, को महाराणा प्रताप चौक थाना बडगांव से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है |

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

अनिल उर्फ छोटू पुत्र प्रकाश चन्द निवासी ग्राम जडोदा पाण्डा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ०नि० श्री शिव कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री पंकज कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 10.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड के 01 वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.05.2024 को वादी मुकदमा ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त **आदित्य पुत्र राकेश निवासी ग्राम मित्तरगढ थाना नानौता जनपद सहारनपुर** द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडखानी करने व वादी के पुत्र को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर **मु0अ0सं0 106/24 धारा 354क/354/506/452 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम** पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना का सफल अनावरण एवं इसमें संलिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिए । इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.05.2024 को मखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वाँछित अभियुक्त **आदित्य** उपरोक्त को ग्राम मित्तरगढ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आदित्य पुत्र राकेश निवासी ग्राम मित्तरगढ थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 जयवीर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

2.उ0नि0 विजेन्द्रपाल थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 10.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में हत्या के प्रयास के 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त 01 डन्डा व 01 बलकटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.05.2024 को वादी श्री शिवसिंह पुत्र महीपाल निवासी ग्राम धौराला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण **1-मोहित पुत्र राजेश 2-अमित पुत्र अमरपाल 3-राजा बाबू पुत्र राजेश 4-राजेश पुत्र हरिसिंह समस्त निवासी गण ग्राम धौराला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** द्वारा वादी के घर मे घुसकर धारदार हथियार व लाठी डन्डे आदि से जान से मारने की नीयत से वादी के भाई दिग्विजय सिंह व विक्रान्त के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर देना एवं वादी की बहन के साथ मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना नकुड़ पर **मु0अ0सं0 134/24 धारा 452/504/307/323/324/506 भादवि** पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए नामित अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 10.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के 02 वांछित अभियुक्तगण 1. राजाबाबू उर्फ बोबी 2. राजेश उपरोक्त को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 डंडा एवं 01 बलकटी बरामद की गयी। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 34 भादवि की वृद्धी की गयी। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर दोनो अभियुक्तगण राजेश तथा राजाबाबू उर्फ बोबी उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि कल दिनाकं 09.05.2024 को हमारा पड़ोस में रहने वाले दिग्विजय व विक्रान्त के साथ उनके घर की गेहूँ की बाली का कूड़ा हमारी छत पर डालने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था जिसमे दिग्विजय,विक्रान्त व उनकी बहन को चोट लग गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. राजेश पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम धौराला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. राजाबाबू उर्फ बोबी पुत्र राजेश निवासी ग्राम धौराला थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 डन्डा (घटना में प्रयुक्त)
- 01 बलकटी (घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 10.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 छुरी नाजायज बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **साजिद उर्फ बल्लू पुत्र अब्दुल वहीद पता नि0 मौ0 रमजान पुरा(रसूलपुर) थाना को0देहात सहारनपुर** को हुसैन बस्ती के पास से गिरफ्तार किया गया ।जिसके कब्जे से 01 छुरी नाजायज बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0192/24 धारा 4/25 आर्म्स ACT पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि जो छुरी पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामदी की गयी है उसे मैं अपने पास आस पास के लोगो को डराने धमकाने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

साजिद उर्फ बल्लू पुत्र अब्दुल वहीद पता नि0 मौ0 रमजान पुरा(रसूलपुर) थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 छुरी नाजायज।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 459/19 धारा 63 उत्तर प्रदेश उत्पादअबकारी अधिनियम/शुल्क- थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 548 रविन्द्र कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2341 नितिन पंवार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 10-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 02 वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.05.2024 को वादी साहब सिंह पुत्र धूम सिह निवासी ग्राम मेघनमजरा थाना गंगोह सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1- महफूज पुत्र वहीद 2. जाबिर पुत्र वहीद निवासी 3. वसीम पुत्र वाजिद निवासी निवासीगण ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा वादी व उसके भतीजे रामप्रताप के साथ मारपीट व गाली गलौच करने तथा जान से मारने की नियत से फायर करने के संबंध में थना गंगोह पर मु0अ0सं0-174/24 धारा 323,504,307 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 02 वांछित अभियुक्तगण 1.**वसीम पुत्र वाजिद तथा 2.जाबिर पुत्र वहीद निवासीगण ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को दौलतपुर मानपुर करनाल रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. वसीम पुत्र वाजिद निवासी ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. जाबिर पुत्र वहीद निवासीगण ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 नीरज गुप्ता थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का01037 विराट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 362 अमित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0का0 322 मोनू चिकारा थाना जनपद सहारनपुर

दिनांकः 10-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27/12/2023 को वादी बबलू पुत्र नकली निवासी ग्रा सलारपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर उपस्थित आकर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-ओमबीर पुत्र बशराम 2-कुलराज 3-दिनेश पुत्रगण रणवीर उर्फ पप्पू 4-विपिन 5-विनय पुत्रगण ओमवीर 6- जोनू पुत्र सेठपाल 7-वंश पुत्र कुलराज निवासीगण ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा षडयन्त्र रचकर मेरे बेटे विमल व शुभम के साथ गाली गलौच कर धारदार हथियार से हमला कर मारपीट कर घायल करना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 386/23 धारा 147/148/149/120बी/352/323/324/307 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त दिनेश पुत्र रणवीर उर्फ पप्पू निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह सहारनपुर** को नानौता चौक के पास से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 27.12.2023 को शाम 04.00 बजे मेरे चाचा ओमबीर अपने खेत में ट्यूबवेल से पानी भर रहे थे। तभी खेत में पानी ज्यादा भर जाने के कारण पडोसी बब्लू पुत्र नकलीराम के गन्ने के खेत में पानी चला गया। जिसके कारण खेत में ट्राली में गन्ना भर रहे बब्लू के पुत्र विमल व शुभम की मेरे चाचा से कहासुनी हो गयी थी। मेरे चाचा ने हमें टेलीफोन करके र खेत पर बुला लिया था। मैं, कुलराज, विनय, विपिन व जोनू हम सभी अपने घर से लाठी डंडे व धारदार हथियार लेकर खेत पर पहुंचे व विमल व शुमभ पर अपने साथ लाये लाठी डंडो व धारदार हथियार से हमला कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दिनेश पुत्र रणवीर उर्फ पप्पू निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

(1) मु0अ0सं0 364/20 धारा 323/324/325/504/506 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0 386/23 धारा 147/ 148/ 149/ 120बी/ 352/ 323/504/506/324/325/307 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सुन्दर सिंह थाना गंगोह सहारनपुर

2.हे0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह सहारनपुर